तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेमसिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 20/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-04-2022	अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, पता ग्राम/पोस्ट– शिकारपुरा तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.12..21 में (1) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ का वर्ष 2010–2011 से 2019–20 तक जोधपुर में पदस्थापित उच्चाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्ष्झणों की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 449 दिनांक 14.02.22 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(ड ण)व धारा 8(ख) के तहत प्रार्थी सूचना प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने बाबत् प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर के सरकारी वाहन का वर्ष 2017–2018 का फिटनेट एवं प्रदुषण नियंत्रण प्रमाण पत्र का कार्यवाही नहीं करवाया गया, सूचना शून्य है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज [illegible]स्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:35:24 IST
Reason: SelfAttested